भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2044

सोमवार, 19 दिसम्बर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

भारत को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए योजनाएं

†2044. श्रीमती पूनम महाजनः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा भारत को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कौन-कौन सी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रहीं हैं और तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में विदेशी पर्यटकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री जी. किशन रेड्डी)**

(क) भारत को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू पर्यटन मंत्रालय द्वारा लागू की गई मुख्य योजनाएँ निम्नानुसार हैं:

(i) स्वदेश दर्शन

(ii) तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)।

(iii) पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता।

(iv) आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार और संवर्धन।

(v) बाजार विकास सहायता सहित विदेशी प्रचार और संवर्धन की पुनर्गठित योजना।

(vi) आईएचएम/ एफसीआई/ आईआईटीटीएम/आईसीआई/ एनसीएचएमसीटी आदि को सहायता।

(vii) सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण।

(viii) चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना।

(ix) महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल।

(ख) : पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित कुल बजट और उन पर व्यय की गई राशि **अनुबंध** में दी गई है।

(ग) : पर्यटकों की सुरक्षा मूल रूप से राज्य सरकार का विषय है । तथापि पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों की सुरक्षा संबंधी चिंता से भली-भांति परिचित है और मंत्रालय ने पर्यटकों के लिए सुरक्षित परिवेश मुहैया कराने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं ।

i. पिछले कुछ समय में पर्यटन मंत्रालय ने यह मामला सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के समक्ष उठाया है और पर्यटकों के लिए सुरक्षित परिवेश मुहैया कराए जाने की बात को दोहराया है । किसी पर्यटक के साथ कोई अप्रिय घटना होने पर उस स्थिति से निपटने और प्रभावित पर्यटकों को संतोषजनक समाधान दिए जाने के लिए कानून एवं व्यवस्था की एक सुदृढ़ प्रणाली होनी चाहिए ।

ii. पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस की तैनाती की है ।

iii. पर्यटक पुलिस की आवश्यकता को समझने और इस प्रकार सृजित पर्यटक पुलिस को पर्यटकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) द्वारा एक अध्ययन किया गया था । पर्यटन मंत्रालय ने ''राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटक पुलिस के कार्य और उत्कृष्ट कार्यप्रथाओं का अभिलेखन'' नामक इस अध्ययन रिपोर्ट की प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को इस अनुरोध के साथ भेजी कि अपने-अपने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में पुलिस की एक अलग इकाई तैयार करें और उन्हें पर्यटकों की आवश्यकताओं से अवगत भी कराया जाए ।

iv. पर्यटन मंत्रालय यह मामला राज्य सरकारों के समक्ष रखने के लिए गृह मंत्रालय का सहयोग लेता रहा है ।

v. एक व्यापक कार्यढ़ांचे के विकास के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने पर्यटक पुलिस योजना के संबंध में एक अध्ययन करवाया था । पर्यटन मंत्रालय ने अखिल भारतीय स्तर पर समान पर्यटक पुलिस योजना के कार्यान्वयन के लक्ष्य से दिनांक 19 अक्तूबर, 2022 को नई दिल्ली में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था ।

vi. पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा से संबंधित सूचना और भारत में यात्रा के दौरान संकट में फंसे पर्यटकों को समुचित मार्गदर्शन के रूप में सहायता सेवा प्रदान करने के लिए 12 भाषाओं में 24x7 टॉल फ्री बहुभाषी पर्यटक इन्फो-हेल्पलाइन शुरू की है।

vii. पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित एवं सम्मानजनक पर्यटन हेतु आचार संहिता' को अपनाया है जो पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों विशेष रूप से महिलाओं तथा बच्चों के लिए गरिमा, सुरक्षा तथा उत्पीड़न से मुक्ति जैसे मूलभूत अधिकारों के लिए के साथ पर्यटन कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशा-निर्देशों का एक संग्रह है ।

*****

अनुबंध

भारत को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए योजनाएं के सम्बन्धं में दिनांक 19.12.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †2044 भाग (ख) के उत्तर में विवरण

वर्ष **2017-18** से **2021-22** तक पर्यटन मंत्रालय के संबंध में बजट अनुमान/संशोधित अनुमान/वास्तविक

(करोड़ रु में)

	2017-18		
योजना/शीर्ष (राजस्व)	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं			
पर्यटन परिपथ/स्वदेश दर्शन	959.91	950.00	943.78
तीर्थयात्रा केंद्र के सौंदर्यीकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन/प्रशाद	100.00	100.00	99.93
विदेशी प्रचार एवं संवर्धन की पुनर्गठित योजना	302.59	297.59	273.91
आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार एवं संवर्धन	110.00	90.00	89.85
आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता	95.00	90.00	110.38
पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता	70.00	72.98	86.73
आवास अवसंरचना हेतु प्रोत्साहन	0.01	0.01	0.00
अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता	2.99	0.01	0.00
गंतव्य और परिपथ के लिए अवसंचना विकास	10.00	10.00	10.00
बौद्ध परिपथ (ईएपी सहित)	0.01	0.01	0.00
सूचान प्रौद्योगिकी	30.00	24.16	24.15
सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	65.00	46.95	39.83
बाजार अनुसंधान	6.00	10.99	10.99
बौद्ध परिपथ (ईएपी सहित)	0.01	0.00	0.00
पर्यटन भवन का निर्माण	1.07	1.07	0.00
कुल योग (योजना)	**1752.59**	**1693.77**	**1689.55**
गैर योजना	**88.18**	**82.63**	**76.54**
कुल योग	**1840.77**	**1776.40**	**1766.09**

(करोड़ रु में)

	2018-19		
योजना/शीर्ष (राजस्व)	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं			
पर्यटन परिपथ/स्वदेश दर्शन	1100.00	1100.00	1101.15
तीर्थयात्रा केंद्र के सौंदर्यीकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन/प्रशाद	150.00	150.00	150.30
विदेशी प्रचार एवं संवर्धन की पुनर्गठित योजना	454.24	416.23	415.00
आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार एवं संवर्धन	135.00	127.40	127.34
आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता	85.00	82.00	82.00
पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता	70.00	71.00	74.00
आवास अवसंरचना हेतु प्रोत्साहन	0.01	0.00	0.00
अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता	1.00	0.00	0.00
गंतव्य और परिपथ के लिए अवसंरचना विकास	5.00	5.00	5.00
बौद्ध परिपथ (ईएपी सहित)	0.01	0.00	0.00
सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	30.00	29.86	29.81
बाजार अनुसंधान	4.00	3.30	2.82
बौद्ध परिपथ (ईएपी सहित)	0.00	0.00	0.00
पर्यटन भवन का निर्माण	0.01	0.00	0.00
कुल योग (योजना)	**2034.27**	**1984.79**	**1987.42**
गैर योजना	**115.73**	**128.69**	**115.11**
कुल योग	**2150.00**	**2113.48**	**2102.53**

(करोड़ रु में)

	2019-20		
योजना/शीर्ष (राजस्व)	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं			
पर्यटन परिपथ/स्वदेश दर्शन	1106.00	566.00	565.93
तीर्थयात्रा केंद्र के सौंदर्यीकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन/प्रशाद	160.50	145.00	144.71
विदेशी प्रचार एवं संवर्धन की पुनर्गठित योजना	446.20	312.39	312.04
आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार एवं संवर्धन	129.50	100.00	99.63
आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता	82.89	61.00	56.81
पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता	91.00	70.00	71.94
आवास अवसंरचना हेतु प्रोत्साहन	0.01	0.00	0.00
चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	1.00	0.00	0.00

अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता	10.00	0.00	0.00
गंतव्य और परिपथ के लिए अवसंरचना विकास	5.00	0.00	0.00
बौद्ध परिपथ (ईएपी सहित)	0.01	0.00	0.00
सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	38.00	33.00	32.75
बाजार अनुसंधान	5.00	3.61	3.61
पर्यटन भवन का निर्माण	0.01	0.00	0.00
कुल योग (योजना)	**2075.12**	**1291.00**	**1287.42**
गैर योजना	**114.10**	**125.00**	**111.79**
कुल योग	**2189.22**	**1416.00**	**1399.21**

(करोड़ रु में)

	2020-21		
योजना/शीर्ष (राजस्व)	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**वास्तविक व्यय**
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं			
पर्यटन परिपथ/स्वदेश दर्शन	1200.00	600.00	560.76
तीर्थयात्रा केंद्र के सौंदर्यीकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन/प्रशाद	207.55	125.00	124.79
विदेशी प्रचार एवं संवर्धन की पुनर्गठित योजना	450.00	115.00	108.09
आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार एवं संवर्धन	140.00	63.33	33.89
आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता	70.00	50.00	50.00
पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता	80.00	80.00	68.98
चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	123.00	63.32	46.87
अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं के लिए सहायता	30.00	0.00	0.00
गंतव्य और परिपथ के लिए अवसंरचना विकास	5.00	5.00	5.00
सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	60.00	33.00	23.51
बाजार अनुसंधान	9.66	6.39	5.61
केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं			
महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल	0.00	6.25	6.25
कुल योग (योजना)	**2375.21**	**1147.29**	**1033.75**
गैर योजना	**124.62**	**112.71**	**98.42**
कुल योग	**2499.83**	**1260.00**	**1132.17**

(करोड़ रु में)

योजना/शीर्ष (राजस्व)	2021-22		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं			
पर्यटन परिपथ/स्वदेश दर्शन	630.00	262.00	261.36
तीर्थयात्रा केंद्र के सौंदर्यीकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन/प्रशाद	153.00	150.95	150.00
विदेशी प्रचार एवं संवर्धन की पुनर्गठित योजना	524.02	89.00	9.42
आतिथ्य सहित घरेलू प्रचार एवं संवर्धन	144.70	60.00	40.00
आईएचएम/एफसीआई/आईआईटीटीएम/एनसीएचएमसीटी को सहायता	75.00	75.00	73.90
पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केंद्रीय एजेंसियों को सहायता	90.00	90.00	79.56
चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना	190.00	84.51	67.00
कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)	0.00	0.50	0.00
गंतव्य और परिपथ के लिए अवसंरचना विकास	5.00	5.00	5.00
सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	63.65	25.00	21.22
बाजार अनुसंधान	20.00	4.24	1.25
प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों का विकास	0.03	0.03	0.00
केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाएं			
महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल	5.27	5.27	0.00
कुल योग (योजना)	**1900.67**	**851.50**	**708.71**
गैर योजना	**126.10**	**118.30**	**95.19**
कुल योग	**2026.77**	**969.80**	**803.90**

******